संख्या- 22/2016/1561/अडतीस-7-2016-223नरेगा/2012टीसी-।।

प्रेषक,

आशीष कुमार गोयल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 26 अक्टूबर 2016**

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत संविदा पर रखे गये कार्मिकों के मानदेय के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

कतिपय मनरेगा संविदा कार्मिक संगठनों द्वारा शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि बडी संख्या में जनपदों में कार्यरत संविदा कार्मिकों के मानदेय का भुगतान काफी समय से लम्बित है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

2 अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परीक्षण कर लिया जाय कि आपके जनपद में संविदा कार्मिकों का नियमानुसार देय भुगतान लम्बित तो नहीं है? यदि मानदेय किन्हीं कारणों से लम्बित है, तो लम्बित मानदेय का भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(आशीष कुमार गोयल)
सचिव ।

संख्या- 22/2016/1561 (1)/अड्तीस-7-2016-तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4. समस्त परियोजना निदेशक/ उपायुक्त श्रम रोजगार, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(हीरा लाल)
विशेष सचिव ।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।